



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला वीरवार 24 नवम्बर, 2011/3 अग्रहायण, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

ब अदालतए सहायक समाहताए द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मंगतो पुत्र श्री सन्तो, ग्राम छनानू, परगना भलेई, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारा।

मंगतो पुत्र श्री सन्तो, ग्राम छनानू, परगना भलेई, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में मंगतो दर्ज है, जोकि गलत है। जिसे राजस्व रिकार्ड में मंगतो उर्फ मंगत राम किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2011 तक कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में

असालतन या बकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश करें, न आने की सूरत में नाम दुरुस्ती के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नर सिंह,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रशोतम दास पुत्र श्री जटू राम, निवासी भाटी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0 . .वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना—पत्र बावत नाम की दुरुस्ती करवाने बारे।

श्री प्रशोतम दास पुत्र श्री जटू राम, निवासी भाटी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसका नाम भूतपूर्व सैनिक का पहचान—पत्र व राशन कार्ड की प्रति तथा अन्य दस्तावेजों में प्रशोतम दास दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रशोतम चन्द दर्ज है जो कि गलत है। दुरुस्त किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 19-12-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर—हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 8-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री हीरा पुत्र श्री लाभा, निवासी महाल सुहडू, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता ग्रामवासी सुहडू

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री हीरा पुत्र श्री लाभा, निवासी महाल सुहडू, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, भूमि मालिक है लेकिन कागजात माल में इसका नाम प्रकाशो गलती से दर्ज है जो कि गलत है। अतः प्रार्थी

ने प्रकाशो पुत्र श्री हीरा के बजाए श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री हीरा पुत्र लाभो दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर व एतराज है तो वह दिनांक 16-12-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकाशो पुत्र हीरा पुत्र लाभो के बजाए प्रकाश चन्द पुत्र श्री हीरा कागजात माल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शमशेर सिंह,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती सुमना देवी पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी गांव व डाकघर खडानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

सर्व जनता ग्राम पंचायत खडानाल, तहसील बैजनाथ मुनादि मुशादि बावत पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि कुमारी अन्जली पुत्री श्री विनोद कुमार, निवासी गांव व डाकघर खडानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 9-11-2008 है। अगर इस बारे किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 2-1-2012 को या इससे पूर्व कार्यालय हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आ करके उजर व एतराज पेश कर सकता है। इस तिथि के बाद कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री जयकरण पुत्र श्री छुन्कु राम, निवासी महाल वलदीआ व मौजा जडोट, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जयकरण पुत्र श्री छुन्कु राम, निवासी महाल वलदीआ व मौजा जडोट, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री रीना कुमारी का जन्म

दिनांक 28-11-1982 को गांव बलदीआ में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब वह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13-12-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 11-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत जनाब नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

1. सर्वश्री/श्रीमती सत्या देवी विधवा देव राज पुत्र गणपत, महाल व मौजा भरयाड़, तहसील ज्वाली,
2. कान्ता देवी पुत्री देव राज, 3. कमलेश कुमारी पुत्री देव राज, 4. सुमना देवी पुत्री देव राज, 5. रंजना देवी पुत्री देव राज महाल व मौजा भरयाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. सर्वश्री/श्रीमती निर्मला देवी विधवा प्यार सिंह, 2. देव राज पुत्र गणपत, 3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 4. विजय लक्ष्मी पुत्री ओम प्रकाश, 5. विनय लक्ष्मी पुत्री ओम प्रकाश, 6. रूप रानी @ उर्मिला विधवा ओम प्रकाश, 7. रमेश चन्द पुत्र सरनू, 8. वीना कुमारी पुत्री सरनू, 9. अनुराधा पुत्री सरनू, 10. रोशनी देवी विधवा सरनू, 11. कुमारी धमनी पुत्री राज कुमार, 12. गुलशन कुमार पुत्र राज कुमार, 13. कुलवन्त सिंह पुत्र बीरबल, 14. कृष्णा देवी पुत्री गणपत, 15. विमला देवी पुत्री गणपत, 16. शालनी देवी पुत्री गणपत, 17. रविन्द्र कुमार पुत्र देस राज महाल व मौजा भरयाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

विषय.— दरखास्त बराये तकसीम अराजी खाता नं0 505, खतौनी 1113 ता 1117, किता 14, रकबा तादादी 0-90-15 HM टीका भरयाड़, मौजा भरयाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त प्रतिवादी को कई बार समन किये गये लेकिन प्रतिवादीगण नौकरी पेशा व कुछ शादीशुद्ध होने के कारण समन की तामील न हो रही है। अतः अब अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है।

अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादी को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त तकसीम बारे कोई एतराज हो तो वह न्यायालय में दिनांक 9-1-2012 को अदालत में सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर तकसीम के आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेश कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्रीमती सरिता पुत्री श्री बद्री, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत नाम पुनः पंचायत में दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमें में श्रीमती सरिता पुत्री श्री बद्री, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने गुजारिश की है कि उनकी शादी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री गंगा जीत, निवासी गांव शुदारंग कल्पा, जिला किन्नौर के साथ वर्ष 1994 में हुई थी तथा ग्राम पंचायत कटगांव से नाम काट दिया गया था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही हमारे आपसी ताल्लूकात ठीक न होने के कारण पति ने उसका नाम अपने ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवाया तथा देसरी शादी कर ली है तथा तब से अपने मायके कटगांव में ही रह रही है। अब क्यों कि पती ने दूसरी यादी करने के बाद वह अपने मायके में ही रह रही है, अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत कटगांव को आदेश दिया जाए कि उनका नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में बतौर पुत्री श्री बद्री पुनः दर्ज करे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत कटगांव में बतौर पुत्री श्री बद्री पुनः दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें। अन्यथा आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख में बतौर पुत्री श्री बद्री लाल दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत कटगांव को दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4 नवम्बर, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री गुरदयाल, निवासी गांव व डाकघर निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत पिता का नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री गुरदयाल, निवासी गांव व डाकघर निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने गुजारिश की है कि उनके पुत्र प्रदीप कुमार के पिता का नाम श्री गोपाल सिंह

अर्थात् वह स्वयं है जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनके पुत्र प्रदीप कुमार के पिता का नाम स्व० श्री टिकम सिंह दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत तराण्डा को उनके पुत्र के पिता का नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिक के पुत्र प्रदीप कुमार के पिता का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में दुरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री गोपाल सिंह के पुत्र श्री प्रदीप कुमार के पिता का नाम टिकम सिंह की जगह गोपाल सिंह दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 4 नवम्बर, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत सहित जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

उप—मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप—मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री हर सिंह, निवासी गांव व डाकघर हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इशतहार बाबत पिता का नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री हर सिंह, निवासी गांव व डाकघर हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उनका अपना वास्तविक नाम शक्ति सिंह पुत्र श्री हर सिंह है जोकि सही है तथा स्कूल अभिलेख में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनका नाम प्रवीण कुमार पुत्र श्री हर सिंह दर्ज हुआ है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत यांगपा को उनका नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिक का नाम ग्राम पंचायत यांगपा के रिकार्ड में दुरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री हर सिंह का नाम बदल कर प्रवीण कुमार की जगह शक्ति सिंह दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 4 नवम्बर, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत सहित जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

उप—मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री श्याम सरन, निवासी गांव गरादे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत पत्नी का नाम दर्ज करने बारे।

उपरोक्त दरखास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती इन्दिरा देवी का नाम ग्राम पंचायत निचार के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री श्याम सरन, निवासी गांव गरादे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनकी शादी इन्दिरा देवी पुत्री स्व० रतन दास, निवासी गांव कस्तैन, डाकघर सरपारा 15/20, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला जिनकी जन्म तिथि 13 जनवरी, 1970 है के साथ 24 अप्रैल, 1994 को हुई थी लेकिन दूर दराज नौकरी में रहने के कारण पत्नी उपरोक्त का नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका है। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत निचार को उनकी पत्नी इन्दिरा देवी का नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पत्नी श्रीमती इन्दिरा देवी का नाम ग्राम पंचायत निचार में आवेदक के परिवार रजिस्टर में बतौर पत्नी दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदक की पत्नी श्रीमती इन्दिरा देवी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में बतौर पत्नी श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री श्याम सरन दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4 नवम्बर, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 15-12-2011

श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री शेर सिंह, निवासी निचली वैरी, डाकघर कोठुवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।

श्रीमती कौशल्या देवी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल निचली वैरी के राजस्व अभिलेख में मेरे पति का नाम होशयार सिंह लिखा गया है, जो गलत है। मेरे पति का वास्तविक नाम शेर सिंह है। इसकी दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती करने बारा उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 15-12-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 8-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 15-12-2011

श्री कृष्ण पाल पुत्र श्री राम चन्द, निवासी चनगल, डाकघर झंगी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।

श्री कृष्ण पाल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल चनगल के राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम राम चन्द्र लिखा गया है, जो गलत है। मेरे पिता का वास्तविक नाम राम चन्द है। इसकी दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती करने बारा उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 15-12-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 8-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री गंगू राम, निवासी दतवाड़, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री गंगू राम, निवासी दतवाड़, डाकघर व तहसील सन्धोल ने इस अदालत में प्रार्थना की है कि उनकी दादी श्रीमती कागदु देवी की मृत्यु दिनांक 15-1-1995 को हुई थी परन्तु

अज्ञानतावश उनकी मृत्यु पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका। अब पंचायत अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण होने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-12-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-11-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० :/2011

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह, निवासी ग्राम गुरुमाजरा, तहसील बदी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इशतहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 1-2-2009 को श्रीमती वंदना देवी पुत्री श्री शंकर लाल, निवासी गांव टिबटा, डाक० खतौली, जिला मुज्जफरनगर (यू० पी०) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह, निवासी गुरुमाजरा, तहसील बदी व श्रीमती वंदना देवी पुत्री श्री शंकर लाल, निवासी गांव टिबटा, डाक० खतौली, जिला मुज्जफरनगर (यू० पी०) की शादी का इन्द्राज सचिव, ग्राम पंचायत किशनपुरा, में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 16-12-2011 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri Shubh Karan Singh, Sub-Divisional Magistrate Nalagarh, District Solan,
Himachal Pradesh exercising the powers of Marriage Officer
under Special Marriage Act, 1954**

Case No./2011

Pending for 19-12- 2011

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas Shri Rinku Sharma s/o Shri Pala Ram, r/o Picholia, Tehsil & District Karnal (HR) at present residing at Village Dattowal, Tehsil Nalagarh, District Solan (HP) and Smt. Princi Sharma d/o Shri Jagdish Sharma and w/o Shri Rinku Sharma s/o Shri Pala Ram, r/o Picholia, Tehsil & District Karnal (HR) at present residing at Village Dattowal, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh, have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 8-9-2011.

And whereas both these applicants have submitted in their applications and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this Court on or before 19-12-2011 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 19-12-2011, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 15-11-2011.

Seal.

SHUBH KARAN SINGH,
Marriage Officer (SDM),
Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh.

**In the Court of Shri Shubh Karan Singh, Sub-Divisional Magistrate Nalagarh, District Solan,
Himachal Pradesh exercising the powers of Marriage Officer
under Special Marriage Act, 1954**

Case No./2011

Pending for 15-12- 2011

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas Shri Manjeet Kumar s/o Shri Ram Pal, r/o VPO Panjehra, Tehsil Nalagarh, District Solan (HP) and Smt. Pooja Kumari d/o Shri Kewal Krishan and w/o Shri Ram Pal resident of VPO Panjehra, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh, have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 12-7-2011.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this Court on or before 15-12-2011 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 15-12-2011, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 14-11-2011.

Seal.

SHUBH KARAN SINGH,
Marriage Officer (SDM),
Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh.

